भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1102
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी का मुद्दा

1102. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर में, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में कुशल और अकुशल बेरोजगार युवाओं के संबंध में कोई डेटा है;

(ख) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा और बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के माध्यम से महिलाओं के उत्थान हेतु कोई योजना तैयार कर रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति में, 15-29 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं के लिए, अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022-23 के दौरान देश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 10.0% और 7.1% था।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में, छत्तीसगढ़ सहित रोजगार सृजन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने श्रम कानूनों में, महिला कर्मचारियों के लिए, भुगतान सहति, मातृत्व अवकाश, लचीले काम करने के घंटों, समान मजदूरी इत्यादि जैसे समान अवसर और अनुकूल कार्य के माहौल के लिए कई प्रावधानों को सम्मिलित किया है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****